



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(6)2021-22/विकास/प्रमुवसं/ 10,090

दिनांक: 16/02/2023

कार्यालय आदेश

मुख्य वन संरक्षक,कोटा के पत्रांक 2437 दिनांक 22.04.22 द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु वर्ष 2022-23 में निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है।

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक का नाम	योजना का नाम	लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु आवंटित राशि (लाखों में)
2406-01-101-07-00-21	कोटा	उप वन संरक्षक,बांरा	परिभ्राषित वनो का पुनरारोपण	0.54
			योग:-	0.54
2406-01-789-04-00-21	कोटा	उप वन संरक्षक, बांरा	परिभ्राषित वनो का पुनरारोपण	0.17
			योग:-	0.17
4406-01-800-01-00-63	कोटा	उप वन संरक्षक,कोटा	फार्म वन विधा	3.03
		उप वन संरक्षक, बांरा		7.61
		उप वन संरक्षक,बून्दी		1.27
		उप वन संरक्षक, झालावाड		3.91
			योग:-	15.82
4406-01-800-03-01-63	कोटा	उप वन संरक्षक, कोटा	टॉल प्लान्टस	0.07
		उप वन संरक्षक,बांरा		0.28
		उप वन संरक्षक,बून्दी		0.10
		उप वन संरक्षक,झालावाड		0.15
			योग:-	0.60

(एम.के.गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(विकास)

राजस्थान,जयपुर

क्रमांक: एफ 21(6)2021-22/विकास/प्रमुवसं/ 10,091-99

दिनांक: 16/02/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, कोटा/बांरा/बून्दी/झालावाड
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलित शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(विकास)

राजस्थान,जयपुर